मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6948–2जी0एस0–I–74/1267 दिनांक 21–1–75 की प्रति जो स
विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा रजिस्ट्रार पंज
तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सब-न्यायाधीश को सम्बोधित है।

विषय :– केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की अन्डरटेकिंग्ज में नौकरी के लिये सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के आवेदन प
भेजने के बारे में नीति।

उपरोक्त विषय पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ समय पूर्व से सरकार के प यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की पब्लिक अंडरटेंग्जि में नौकरी के लिये सरकारी कर्मचारि अधिकारियों के आवेदन पत्र भेजे जाने के बारे में क्या नीति अपनाई जाए। इस बारे में ध्यान पूर्वक विचार करने के ब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार के किसी ए विभाग से अन्य विभाग या दूसरी राज्य सरकारी को नौकरी के लिये आवेदन पत्र भेजे जाने के बारे में जो हिदा संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 3539-ए एस–II–64/29158 दिनांक 5–9–1964 (प्रति संलग्न है) में जा हुई है वह ही सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की पब्लिक अन्डरटेंकिग्ज में नौकरी लिये आवेदन पत्र भेजे जाने के बारे में लागू होगी।